बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

।। अधिसूचना ।।

दिनांक– 14.11.2026

संख्या–09 / नि॰फ॰बी॰को॰(PMFBY)–21 / 2026 12340 / सहकारिता विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–5949 दिनांक 10.06.2026 द्वारा बिहार राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026–27 के रबी मौसम से राज्य में लागू करने संबंधी निर्णय एवं तदानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–7559 दिनांक–21.07.2026 द्वारा राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति (SLCCCI) द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में रबी 2026–27 मौसम हेतु योजना का कार्यान्वयन निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है:–

1. योजना का नाम, अवधि एवं क्षेत्र

i. यह योजना "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, रबी 2026–27 मौसम" के रूप में जानी जायेगी तथा Cup & Cap 80–110 मॉडल में कार्यान्वित होगी। साथ ही राज्य के सभी 38 जिलों में परिशिष्ट–1 में अंकित अधिसूचित फसलों एवं अधिसूचित बीमा इकाइयों पर लागू होगी।

ii. योजना "क्षेत्र दृष्टिकोण (Area Approach)" के सिद्धांत पर संचालित होगी। व्यापक आपदाओं से क्षति का आकलन अधिसूचित बीमा इकाई (ग्राम पंचायत / जिला) स्तर पर किया जायेगा।

iii. बीमा आच्छादन रबी 2026–27 मौसम के लिए होगा। कार्यान्वयन बीमा कम्पनी का दायित्व कार्यादेश निर्गत होने अथवा अनुबंध हस्ताक्षरित होने, जो पहले हो, से प्रारम्भ होकर रबी 2026–27 मौसम से संबंधित सभी दावों के भुगतान, अंकेक्षण, शिकायत एवं विधिक दायित्वों के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी रहेगा।

iv. योजना के सभी कार्य भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP – www.pmfby.gov.in) के माध्यम से सम्पादित होंगे। कृषकों का आच्छादन, भूमि अभिलेखों का सत्यापन, उपज आँकड़ों के आधार पर क्षतिपूर्ति का आकलन तथा क्षतिपूर्ति का भुगतान इसी पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। बीमित कृषकों

के विवरण संकलन हेतु NCIP के अतिरिक्त अन्य कोई पोर्टल/प्रपत्र अनुमान्य नहीं होगा।

2. **कार्यभारित बीमा कम्पनी** :– कार्यभारित किए गए बीमा कम्पनियों द्वारा योजना का कार्यान्वयन क्लस्टरवार निम्नरूपेण संबंधित जिलों के अनुसार किया जाएगा :–

क्लस्टर	जिलों का नाम	कार्यभारित बीमा कम्पनी का नाम
1.	पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर एवं दरभंगा।	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
2.	वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया एवं मुजफ्फपुर।	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
3.	किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल।	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
4.	नालन्दा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, गया, भागलपुर एवं बांका।	Agriculture Insurance Company of India Ltd.
5.	पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद।	Agriculture Insurance Company of India Ltd.

3. **प्रीमियम की दर** :– अधिसूचित फसल हेतु इन्डेम्निटी स्तर, बीमित राशि, वास्तविक प्रीमियम दर की फसलवार एवं जिलावार विवरणी परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। प्रीमियम पर क्रेन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में यथा अनुमान्य अनुदान दिया जाएगा।

4. **Cup & Cap 80–110 मॉडल** :– योजना के कार्यान्वयन भारत सरकार के परिचालन दिशा–निर्देशों के आलोक में Cup & Cap 80–110 मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इस मॉडल अंतर्गत कार्यभारित बीमा कम्पनी को संबंधित क्लस्टर में प्राप्त कुल सकल प्रीमियम के 80 प्रतिशत से कम क्षति होने की स्थिति में बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति का वहन करने के पश्चात शेष राशि (80 प्रतिशत – क्षतिपूर्ति की गयी राशि) को राज्य सरकार को वापस किया जाएगा। इसी प्रकार यदि क्लस्टर में कुल बीमित राशि का निविदा में वर्णित Burn Cost प्रतिशत के गुणा (Sum insured x Burn Cost%) के पश्चात प्राप्त राशि का 110 प्रतिशत से अधिक की क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में उक्त 110 प्रतिशत से अधिक राशि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

5. **किसानों का आच्छादन** :– विभागीय अधिसूचना संख्या–11450 दिनांक–28.10.2026 की कंडिका–08 में ऋणी, गैर ऋणी एवं बटाईदार/किरायेदार किसानों के बीमा

आच्छादन के संबंध में विस्तृत निदेश संसूचित है। भारत सरकार के दिशा–निर्देश के आलोक में ऋणी तथा गैर ऋणी किसानों को बीमा आच्छादन हेतु Agri Stack निबंधन कराते हुए Farmer ID प्राप्त करना आवश्यक होगा। बटाईदार/किरायेदार किसानों का बीमा आच्छादन परिशिष्ट–03 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में स्वघोषणा– पत्र (किसान सलाहकार अथवा वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित) जिसमें भूमि की विवरणी (खाता/खेसरा/पलॉट नम्बर के साथ) अवश्य अंकित किया गया हो, के आधार पर गैर ऋणी कृषक के रूप में किया जाएगा।

6. फसल कटनी प्रयोग का सम्पादन :–

i. फसल उपज आकलन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण तथा CCEs के माध्यम से प्राप्त उपज आँकड़ों का संकलन करने के उद्देश्य से अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अनिवार्य रूप से सभी फसल कटनी प्रयोग (CCEs) भारत सरकार द्वारा विकसित CCE Agri App एवं GCES App के माध्यम से संचालित किया जाएगा एवं प्राप्त उपज आकलन आँकड़ों को API के माध्यम से NCIP पर साझा किया जाएगा।

ii. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार के निदेशन एवं पर्यवेक्षण में पंचायत स्तरीय फसलों के लिए फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन एकांश श्रृंखला अन्तर्गत प्रति फसल प्रति पंचायत न्यूनतम 04 की संख्या में एवं जिला स्तरीय फसलों के लिए प्रति जिला न्यूनतम 24 की संख्या में किया जाएगा।

iii. फसल कटनी प्रयोगों के फलाफल के आधार पर प्रति हेक्टेयर उपज दर निर्धारित होगी। यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र में फसल कटनी प्रयोग सम्पादित नहीं हो सका हो तो निकटवर्त्ती क्षेत्र अथवा उच्च स्तर पर निर्धारित उपज दर उक्त क्षेत्र हेतु भी मान्य होगी।

iv. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार द्वारा योजनान्तगर्त अधिसूचित फसलों के लिए आवश्यकतानुसार फसलवार फसल कटनी प्रयोग हेतु फसलवार समय–सीमा का निर्धारण कराया जाएगा एवं तदनुसार क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोगों को सुनिश्चित कराते हुए उपज दर आंकड़ों को NCIP पर अपलोड किया जाएगा।

v. भारत सरकार के परिचालन दिशा–निर्देशों के आलोक में फसल कटनी प्रयोगों का सम्पादन पूर्ण पारदर्शी तरीके से पूर्ण प्रचार–प्रसार करते हुए सुनिश्चित कराया जाएगा।

7. **जिला स्तरीय संचालन समिति (District Level Steering Committee):–** उपज आकलन हेतु CCEs की योजना बनाने, संचालन करने एवं पर्यवेक्षण करने तथा उपज आँकड़ों की रिपोर्ट नोडल विभाग को उपलब्ध कराने के लिए जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति (DLSC) का गठन किया जाता है जिसमें जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, National Sample Survey Organisation (NSSO) के प्रतिनिधि तथा बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। DLSC के अध्यक्ष NCIP पर सभी आवश्यक सूचनाएँ जैसे CCE कार्यक्रम, CCE रिपोर्ट आदि अपलोड करने तथा CCE संचालन हेतु उत्तरदायी क्षेत्रीय कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। संचालन समिति अपनी सभी कार्यवाहियों/बैठक विवरणों (Minutes) आदि की प्रतियाँ अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) तथा राज्य के नोडल विभाग को प्रेषित करेगी।

8. **बीमा कम्पनी के दायित्व :–**

i. बीमा कम्पनी प्रत्येक आवंटित जिले के मुख्यालय एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यशील कार्यालय स्थापित करेगी, जिसमें नियमित लैंडलाइन एवं मोबाइल सहित कम से कम एक समर्पित कर्मी होगा तथा जिसका प्रभारी बीमा कम्पनी का पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी (अधिमानतः कृषि स्नातक) होगा। ये कार्यालय दावों के पूर्ण निपटारे तक कार्यरत रहेंगे। वसुधा केन्द्र, बैंक शाखा अथवा बीमा कम्पनी के अन्य सामान्य कार्यालय इस हेतु मान्य नहीं होंगे।

ii. बीमा कम्पनी कार्यादेश पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अन्दर जिला प्रबंधकों एवं प्रखण्ड समन्वयकों की संपर्क विवरण सहित हस्ताक्षरित सूची राज्य नोडल पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा नामांकन प्रारम्भ होने से पूर्व NCIP पर अपलोड करेगी। कर्मियों में परिवर्तन की सूचना 03 कार्य दिवस के अन्दर दी जायेगी।

iii. बीमा कम्पनी प्रत्येक सोमवार अपराह्न 5:00 बजे तक पूर्ववर्ती रविवार तक के नामांकन, IEC गतिविधि, बैंक मिलान (Bank reconciliation) एवं शिकायत संबंधी साप्ताहिक प्रतिवेदन राज्य नोडल पदाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। विभाग द्वारा माँगे जाने पर कृषकवार विवरण (अस्वीकृति के कारण, स्थानिक सूचना संख्या, दावा

स्थिति, UTR संख्या, भुगतान तिथि एवं रोके गये दावे का कारण) उपलब्ध कराया जायेगा।

iv. बीमा कम्पनी राज्य स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी नामित करेगी जो सूचना का अधिकार, विधान मंडल/संसद के प्रश्नों, जनशिकायत एवं न्यायालयीन मामलों का निर्धारित समय–सीमा में उत्तर सुनिश्चित करेगा। SLCCCI, DLMC एवं शिकायत निवारण समितियों की बैठकों में सक्षम पदाधिकारी भाग लेंगे तथा फसल कटनी प्रयोगों के अवलोकन हेतु पर्याप्त कर्मी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे।

v. अंकन (Underwriting), शिकायत निवारण, दावा गणना एवं दावा निपटारा जैसे मूल कार्य किसी बाह्य संस्था को आउटसोर्स नहीं किये जायेंगे। बीमा कम्पनी अपने पोर्टफोलियो हेतु समुचित पुनर्बीमा व्यवस्था करेगी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक सहित केन्द्र/राज्य के अधिकृत अभिकरणों को लेखा एवं अभिलेखों के सत्यापन हेतु निःशुल्क पहुँच देगी।

9. **बीमा आवेदनों का DLMC द्वारा सत्यापन** :– विभागीय अधिसूचना संख्या–11450 दिनांक–28.10.2026 की कंडिका– 18 द्वारा जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLMC) गठित है। उक्त समिति द्वारा ऐसे बीमा आवेदनों जिनका भू–अभिलेख NCIP से एकीकृत (Integrated) नहीं है अथवा बटाईदार (गैर–रैयत) किसान से संबंधित है, का सत्यापन संबंधित जिले की DLMC द्वारा NCIP पर निम्नरूपेण किया जायेगाः–

(i) DLMC ऐसे आवेदनों का सत्यापन आवेदन/प्रीमियम कटौती की अंतिम तिथि से 45 दिनों के अन्दर पूर्ण करेगी।

(ii) DLMC द्वारा नामित पदाधिकारी, NCIP पर उपलब्ध डिजिटल प्रक्रिया (Digital Process Flow) के माध्यम से प्रत्येक आवेदन को अनुमोदित (Approve), वापस (Revert) अथवा अस्वीकृत (Reject) करेंगे तथा वापसी/अस्वीकृति के कारण NCIP पर अभिलेखित करेंगे।

(iii) सत्यापन में आवेदित भूमि, बोयी गयी फसल एवं रकबा तथा बटाईदार कृषकों के मामले में स्व–घोषणा पत्र (परिशिष्ट–3) की जाँच की जायेगी।

(iv) नामांकन की अंतिम तिथि से 60 दिनों की अवधि में सत्यापन पूर्ण नहीं होने पर लंबित आवेदन NCIP द्वारा स्वतः अनुमोदित (Auto-approved) हो जायेंगे। अतः सभी DLMC निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

(v) DLMC द्वारा नामित पदाधिकारी NCIP पर लंबित आवेदनों का दैनिक अनुश्रवण करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन साप्ताहिक रूप से राज्य नोडल विभाग को प्रेषित करेंगे।

9. अनुश्रवण, सत्यापन एवं निष्पादन मूल्यांकन :–

i. राज्य स्तर पर योजना का अनुश्रवण SLCCCI द्वारा किया जायेगा। बीमा कम्पनी अपने क्षेत्रीय/स्थानीय कार्यालयों से कम से कम 5 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन कर प्रतिवेदन DLMC को देगी, DLMC इनमें से कम से कम 10 प्रतिशत का प्रति–सत्यापन करेगी तथा बीमा कम्पनी का मुख्यालय/स्वतंत्र अभिकरण 1 से 2 प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन करेगा। अधिक बीमित क्षेत्र एवं उपज आँकड़ों की विसंगतियाँ निर्धारित समय–सीमा में सूचित की जायेंगी।

ii. बीमा कम्पनी का निष्पादन मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा अधिसूचित निष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार किया जायेगा। मौसमी अनुशासन, मार्गदर्शिका एवं सरकार के निर्देशों के अनुपालन में विफलता पर मार्गदर्शिका में निर्धारित दंड तथा गंभीर अनिष्पादन की स्थिति में अपीलीकरण एवं IRDAI को अनुशंसा की कार्रवाई की जायेगी।

iii. अनुबंध से निकास भारत सरकार परिचालन दिशा–निर्देश के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार ही अनुमान्य होगा। अन्य कारणों से अनुबंध समाप्त करने पर शेष अनुबंध अवधि के अनुमानित प्रीमियम के 5 प्रतिशत तक दंड देय होगा। नामांकन प्रारम्भ होने के उपरांत बीमा कम्पनी को निकास की अनुमति नहीं होगी।

11. विधिक आधार एवं प्रावधानों की प्राथमिकता :–

i. योजना का क्रियान्वयन परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 तथा भारत सरकार द्वारा अनुबंध अवधि में समय–समय पर निर्गत परामर्शों/निर्देशों, विभागीय संकल्प संख्या– 5949 दिनांक–10.06.2026 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–11450 दिनांक–28.10.2026 के अनुसार किया जायेगा, जो सभी हितधारकों पर बाध्यकारी होंगे।

ii. इस अधिसूचना के निविदा दस्तावेज अथवा राज्य सरकार एवं बीमा कम्पनी के मध्य निष्पादित अनुबंध का कोई प्रावधान परिचालन मार्गदर्शिका, 2023 एवं भारत सरकार के परामर्शों से असंगत होने की स्थिति में मार्गदर्शिका एवं परामर्शों के प्रावधान अभिभावी होंगे।

अधिसूचना में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14.XI.26

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—12340 /पटना, दिनांकः—14.11.2026

प्रतिलिपिः— उप सचिव (ई—गजट कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की सी॰डी॰ एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 20 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

14.XI.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—12340 /पटना, दिनांकः—14.11.2026

प्रतिलिपिः— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक, Agriculture Insurance Company of India Ltd./ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. को विभागीय अधिसूचन संख्या—11450 दिनांक—28.10.2026 की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.XI.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः—12340 /पटना, दिनांकः—14.11.2026

प्रतिलिपिः— सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰—सह—किसान प्रतिनिधि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.XI.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–12340 /पटना, दिनांकः–14.11.2026

प्रतिलिपिः– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, आई॰एम॰डी॰, बिहार, पटना/निदेशक, बिहार रिमोट सेंसिंग केन्द्र, तारामंडल, पटना/निदेशक, उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, बिहार/राज्य संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰–सह–किसान प्रतिनिधि/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰/आई0 टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.11.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–12340 /पटना, दिनांकः–14.11.2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

14.11.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–12340 /पटना, दिनांकः–14.11.2026

प्रतिलिपिः– सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/सचिव सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार/संयुक्त सचिव–सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

14.11.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–12340 /पटना, दिनांकः–14.11.2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

14.11.26

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

रबी 2026–27 हेतु अधिसूचित फसलें, बीमा इकाई स्तर एवं अधिसूचित जिले

क्र॰	फसल	बीमा इकाई	जिलों की संख्या	अधिसूचित जिले	सामान्य बुवाई	सामान्य कटाई
1	गेहूँ	ग्राम पंचायत	38	सभी 38 जिलों की सभी आच्छादित ग्राम पंचायतें	15 / 11	15 / 04
2	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	29	दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, बांका, भागलपुर, गयाजी, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, शेखपुरा, पटना	15 / 11	15 / 04
3	ईख	ग्राम पंचायत	12	दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, लखीसराय	01 / 11	15 / 03 (अगला वर्ष)
4	राई–सरसों	जिला	37	दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, बांका, भागलपुर, गयाजी, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, पटना, रोहतास	15 / 11	15 / 03
5	मसूर	जिला	34	दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, बांका, भागलपुर, गयाजी, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, अरवल,	01 / 11	01 / 04

क्र॰	फसल	बीमा इकाई	जिलों की संख्या	अधिसूचित जिले	सामान्य बुवाई	सामान्य कटाई
				औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, पटना, रोहतास		
6	चना	जिला	17	बांका, भागलपुर, गयाजी, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, पटना, रोहतास	01/11	01/04
7	अरहर	जिला	16	दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, बांका, गयाजी, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, पटना	01/07	01/03
8	आलू	जिला	15	पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सुपौल, गयाजी, नालंदा, भोजपुर, पटना	15/11	15/02
9	टमाटर	जिला	10	पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गयाजी, लखीसराय, नालंदा, पटना	15/12	01/02
10	बैंगन	जिला	12	पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, गयाजी, नालंदा, पटना	01/02	25/05
11	मिर्चाई	जिला	12	बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, गयाजी, लखीसराय, नालंदा, पटना	01/03	25/05
12	गोभी	जिला	11	पूर्वी चम्पारण, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, बांका	15/12	01/02

क्र॰	फसल	बीमा इकाई	जिलों की संख्या	अधिसूचित जिले	सामान्य बुवाई	सामान्य कटाई
13	प्याज	जिला	15	पूर्वी चम्पारण, सिवान, पश्चिम चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, अररिया, किशनगंज, सुपौल, गयाजी, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर, पटना	15/12	01/05
14	आम	जिला	19	दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, बांका, भागलपुर, बक्सर	,	,
15	लीची	जिला	10	पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर	,	,
16	केला	जिला	10	पूर्वी चम्पारण, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर	,	,
17	कटहल	जिला	10	गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया	,	,
18	अमरूद	जिला	9	पूर्वी चम्पारण, सिवान, पश्चिम चम्पारण, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर	,	,

टिप्पणीः (1) ग्राम पंचायतवार अधिसूचित बीमा इकाइयों की सूची NCIP पर उपलब्ध है। (2) बुवाई एवं कटाई की तिथियाँ (दिन/माह) सामान्य हैं; जिलावार फसल कैलेंडर अंतिम माना जायेगा। फल फसलों हेतु जिलावार फसल कैलेंडर के अनुसार। (3) स्रोतः अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार का पत्रांक–1263 दिनांक 15.09.2026।

परिशिष्ट-2

जिलावार-फसलवार प्रति हेक्टेयर बीमित राशि, वास्तविक प्रीमियम दर एवं इंडेम्निटी स्तर (रबी 2026-27)

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
1	1	दरभंगा	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	3.00%	80
2	1	दरभंगा	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
3	1	दरभंगा	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
4	1	दरभंगा	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
5	1	दरभंगा	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
6	1	दरभंगा	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
7	1	दरभंगा	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
8	1	पूर्वी चम्पारण	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	6.00%	80
9	1	पूर्वी चम्पारण	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
10	1	पूर्वी चम्पारण	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
11	1	पूर्वी चम्पारण	राई-सरसों	जिला	66,003	8.00%	80
12	1	पूर्वी चम्पारण	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
13	1	पूर्वी चम्पारण	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
14	1	पूर्वी चम्पारण	आलू	जिला	1,21,030	12.36%	80
15	1	पूर्वी चम्पारण	टमाटर	जिला	59,280	0.25%	80
16	1	पूर्वी चम्पारण	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
17	1	पूर्वी चम्पारण	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
18	1	पूर्वी चम्पारण	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
19	1	पूर्वी चम्पारण	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
20	1	पूर्वी चम्पारण	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
21	1	पूर्वी चम्पारण	अमरूद	जिला	2,09,950	0.25%	80
22	1	गोपालगंज	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.00%	80
23	1	गोपालगंज	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
24	1	गोपालगंज	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
25	1	गोपालगंज	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
26	1	गोपालगंज	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
27	1	गोपालगंज	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
28	1	गोपालगंज	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
29	1	गोपालगंज	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
30	1	सारण	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.00%	80
31	1	सारण	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
32	1	सारण	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
33	1	सारण	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
34	1	सारण	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
35	1	सारण	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
36	1	शिवहर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	3.00%	80
37	1	शिवहर	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
38	1	शिवहर	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
39	1	शिवहर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
40	1	शिवहर	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
41	1	सीतामढ़ी	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.00%	80
42	1	सीतामढ़ी	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
43	1	सीतामढ़ी	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
44	1	सीतामढ़ी	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
45	1	सीतामढ़ी	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
46	1	सीतामढ़ी	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
47	1	सीतामढ़ी	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
48	1	सीतामढ़ी	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
49	1	सिवान	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.00%	80
50	1	सिवान	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
51	1	सिवान	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
52	1	सिवान	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
53	1	सिवान	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
54	1	सिवान	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
55	1	सिवान	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
56	1	सिवान	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
57	1	सिवान	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
58	1	सिवान	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
59	1	सिवान	अमरूद	जिला	2,09,950	0.25%	80
60	1	सिवान	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
61	1	पश्चिम चम्पारण	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	5.00%	80
62	1	पश्चिम चम्पारण	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
63	1	पश्चिम चम्पारण	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
64	1	पश्चिम चम्पारण	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
65	1	पश्चिम चम्पारण	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
66	1	पश्चिम चम्पारण	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
67	1	पश्चिम चम्पारण	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
68	1	पश्चिम चम्पारण	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
69	1	पश्चिम चम्पारण	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
70	1	पश्चिम चम्पारण	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
71	1	पश्चिम चम्पारण	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
72	1	पश्चिम चम्पारण	अमरूद	जिला	2,09,950	20.00%	80
73	1	पश्चिम चम्पारण	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
74	2	बेगूसराय	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	3.00%	80
75	2	बेगूसराय	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.50%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
76	2	बेगूसराय	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
77	2	बेगूसराय	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
78	2	बेगूसराय	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
79	2	बेगूसराय	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
80	2	बेगूसराय	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
81	2	बेगूसराय	टमाटर	जिला	59,280	0.25%	80
82	2	बेगूसराय	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
83	2	बेगूसराय	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
84	2	बेगूसराय	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
85	2	बेगूसराय	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
86	2	बेगूसराय	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
87	2	बेगूसराय	अमरूद	जिला	2,09,950	0.25%	80
88	2	बेगूसराय	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
89	2	खगड़िया	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.00%	80
90	2	खगड़िया	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.50%	80
91	2	खगड़िया	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
92	2	खगड़िया	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
93	2	खगड़िया	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
94	2	खगड़िया	अमरूद	जिला	2,09,950	0.25%	80
95	2	मधुबनी	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.50%	80
96	2	मधुबनी	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
97	2	मधुबनी	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
98	2	मधुबनी	टमाटर	जिला	59,280	0.25%	80
99	2	मधुबनी	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
100	2	मधुबनी	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
101	2	मधुबनी	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
102	2	मधुबनी	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
103	2	मुजफ्फरपुर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	3.00%	80
104	2	मुजफ्फरपुर	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
105	2	मुजफ्फरपुर	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
106	2	मुजफ्फरपुर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
107	2	मुजफ्फरपुर	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
108	2	मुजफ्फरपुर	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
109	2	मुजफ्फरपुर	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
110	2	मुजफ्फरपुर	टमाटर	जिला	59,280	0.25%	80
111	2	मुजफ्फरपुर	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
112	2	मुजफ्फरपुर	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
113	2	मुजफ्फरपुर	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
114	2	मुजफ्फरपुर	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
115	2	मुजफ्फरपुर	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
116	2	समस्तीपुर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.80%	80
117	2	समस्तीपुर	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
118	2	समस्तीपुर	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.25%	80
119	2	समस्तीपुर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
120	2	समस्तीपुर	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
121	2	समस्तीपुर	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
122	2	समस्तीपुर	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
123	2	समस्तीपुर	टमाटर	जिला	59,280	0.25%	80
124	2	समस्तीपुर	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
125	2	समस्तीपुर	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
126	2	समस्तीपुर	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
127	2	समस्तीपुर	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
128	2	समस्तीपुर	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
129	2	समस्तीपुर	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
130	2	समस्तीपुर	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
131	2	समस्तीपुर	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
132	2	वैशाली	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.00%	80
133	2	वैशाली	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.25%	80
134	2	वैशाली	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
135	2	वैशाली	अरहर	जिला	80,890	0.25%	80
136	2	वैशाली	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
137	2	वैशाली	टमाटर	जिला	59,280	0.25%	80
138	2	वैशाली	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
139	2	वैशाली	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
140	2	वैशाली	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
141	2	वैशाली	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
142	2	वैशाली	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
143	2	वैशाली	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
144	2	वैशाली	अमरूद	जिला	2,09,950	0.25%	80
145	2	वैशाली	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
146	3	अररिया	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.23%	80
147	3	अररिया	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
148	3	अररिया	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
149	3	अररिया	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
150	3	अररिया	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
151	3	कटिहार	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.50%	80
152	3	कटिहार	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.50%	80
153	3	कटिहार	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
154	3	कटिहार	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
155	3	कटिहार	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
156	3	कटिहार	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
157	3	कटिहार	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
158	3	कटिहार	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
159	3	कटिहार	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
160	3	कटिहार	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
161	3	कटिहार	अमरूद	जिला	2,09,950	5.00%	80
162	3	कटिहार	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
163	3	किशनगंज	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	5.50%	80
164	3	किशनगंज	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.50%	80
165	3	किशनगंज	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
166	3	किशनगंज	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
167	3	किशनगंज	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
168	3	किशनगंज	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
169	3	किशनगंज	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
170	3	किशनगंज	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
171	3	मधेपुरा	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.50%	80
172	3	मधेपुरा	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
173	3	मधेपुरा	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
174	3	मधेपुरा	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
175	3	मधेपुरा	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
176	3	मधेपुरा	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
177	3	मधेपुरा	लीची	जिला	1,90,190	0.25%	80
178	3	मधेपुरा	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
179	3	मधेपुरा	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
180	3	पूर्णिया	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	10.00%	80
181	3	पूर्णिया	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
182	3	पूर्णिया	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
183	3	पूर्णिया	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
184	3	पूर्णिया	बैंगन	जिला	59,280	0.25%	80
185	3	पूर्णिया	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
186	3	पूर्णिया	केला	जिला	2,44,036	0.25%	80
187	3	पूर्णिया	अमरूद	जिला	2,09,950	5.00%	80
188	3	पूर्णिया	कटहल	जिला	1,70,430	0.25%	80
189	3	सहरसा	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.00%	80
190	3	सहरसा	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
191	3	सहरसा	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
192	3	सहरसा	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
193	3	सहरसा	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
194	3	सुपौल	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	2.90%	80
195	3	सुपौल	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
196	3	सुपौल	राई-सरसों	जिला	66,003	0.25%	80
197	3	सुपौल	मसूर	जिला	66,211	0.25%	80
198	3	सुपौल	आलू	जिला	1,21,030	0.25%	80
199	3	सुपौल	मिर्चाई	जिला	59,280	0.25%	80
200	3	सुपौल	गोभी	जिला	59,280	0.25%	80
201	3	सुपौल	प्याज	जिला	49,400	0.25%	80
202	3	सुपौल	आम	जिला	1,70,430	0.25%	80
203	4	बांका	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.00%	80
204	4	बांका	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.50%	80
205	4	बांका	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	0.50%	80
206	4	बांका	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
207	4	बांका	चना	जिला	79,020	0.50%	80
208	4	बांका	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
209	4	बांका	अरहर	जिला	80,890	0.50%	80
210	4	बांका	गोभी	जिला	59,280	1.00%	80
211	4	बांका	आम	जिला	1,70,430	0.50%	80
212	4	भागलपुर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.00%	80
213	4	भागलपुर	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.50%	80
214	4	भागलपुर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
215	4	भागलपुर	चना	जिला	79,020	0.50%	80
216	4	भागलपुर	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
217	4	भागलपुर	आम	जिला	1,70,430	0.50%	80
218	4	भागलपुर	लीची	जिला	1,90,190	0.50%	80
219	4	भागलपुर	केला	जिला	2,44,036	0.50%	80
220	4	भागलपुर	अमरूद	जिला	2,09,950	0.50%	80
221	4	गयाजी	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	5.00%	80
222	4	गयाजी	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.50%	80
223	4	गयाजी	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
224	4	गयाजी	चना	जिला	79,020	0.50%	80
225	4	गयाजी	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
226	4	गयाजी	अरहर	जिला	80,890	0.50%	80
227	4	गयाजी	आलू	जिला	1,21,030	0.50%	80
228	4	गयाजी	टमाटर	जिला	59,280	1.00%	80
229	4	गयाजी	बैंगन	जिला	59,280	1.00%	80
230	4	गयाजी	मिर्चाई	जिला	59,280	1.00%	80
231	4	गयाजी	प्याज	जिला	49,400	1.00%	80
232	4	जमुई	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.00%	80
233	4	जमुई	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	3.00%	80
234	4	जमुई	राई-सरसों	जिला	66,003	1.00%	80
235	4	जमुई	चना	जिला	79,020	0.50%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
236	4	जमुई	मसूर	जिला	66,211	14.00%	80
237	4	जमुई	अरहर	जिला	80,890	0.50%	80
238	4	लखीसराय	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.00%	80
239	4	लखीसराय	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.50%	80
240	4	लखीसराय	ईख	ग्राम पंचायत	2,05,375	1.00%	80
241	4	लखीसराय	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
242	4	लखीसराय	चना	जिला	79,020	0.50%	80
243	4	लखीसराय	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
244	4	लखीसराय	टमाटर	जिला	59,280	1.00%	80
245	4	लखीसराय	मिर्चाई	जिला	59,280	1.00%	80
246	4	लखीसराय	प्याज	जिला	49,400	1.00%	80
247	4	मुंगेर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	3.00%	80
248	4	मुंगेर	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	0.50%	80
249	4	मुंगेर	राई-सरसों	जिला	66,003	1.00%	80
250	4	मुंगेर	चना	जिला	79,020	1.00%	80
251	4	मुंगेर	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
252	4	नालंदा	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	0.50%	80
253	4	नालंदा	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
254	4	नालंदा	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
255	4	नालंदा	चना	जिला	79,020	0.50%	80
256	4	नालंदा	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
257	4	नालंदा	आलू	जिला	1,21,030	1.00%	80
258	4	नालंदा	टमाटर	जिला	59,280	1.00%	80
259	4	नालंदा	बैंगन	जिला	59,280	1.00%	80
260	4	नालंदा	मिर्चाई	जिला	59,280	1.00%	80
261	4	नालंदा	प्याज	जिला	49,400	1.00%	80
262	4	नवादा	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.00%	80
263	4	नवादा	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
264	4	नवादा	चना	जिला	79,020	0.50%	80
265	4	नवादा	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
266	4	नवादा	अरहर	जिला	80,890	0.50%	80
267	4	शेखपुरा	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.00%	80
268	4	शेखपुरा	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
269	4	शेखपुरा	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
270	4	शेखपुरा	चना	जिला	79,020	0.50%	80
271	4	शेखपुरा	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
272	4	शेखपुरा	प्याज	जिला	49,400	1.00%	80
273	5	अरवल	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.00%	80
274	5	अरवल	राई-सरसों	जिला	66,003	1.00%	80
275	5	अरवल	चना	जिला	79,020	0.50%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
276	5	अरवल	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
277	5	औरंगाबाद	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	0.60%	80
278	5	औरंगाबाद	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
279	5	औरंगाबाद	चना	जिला	79,020	0.50%	80
280	5	औरंगाबाद	मसूर	जिला	66,211	1.00%	80
281	5	औरंगाबाद	अरहर	जिला	80,890	0.50%	80
282	5	भोजपुर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	0.60%	80
283	5	भोजपुर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
284	5	भोजपुर	चना	जिला	79,020	0.50%	80
285	5	भोजपुर	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
286	5	भोजपुर	आलू	जिला	1,21,030	0.50%	80
287	5	बक्सर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	0.50%	80
288	5	बक्सर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
289	5	बक्सर	चना	जिला	79,020	0.50%	80
290	5	बक्सर	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
291	5	बक्सर	प्याज	जिला	49,400	1.00%	80
292	5	बक्सर	आम	जिला	1,70,430	0.50%	80
293	5	जहानाबाद	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	4.00%	80
294	5	जहानाबाद	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
295	5	जहानाबाद	चना	जिला	79,020	0.50%	80
296	5	जहानाबाद	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
297	5	कैमूर	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.00%	80
298	5	कैमूर	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
299	5	कैमूर	चना	जिला	79,020	0.50%	80
300	5	कैमूर	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
301	5	कैमूर	अरहर	जिला	80,890	1.00%	80
302	5	पटना	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	1.50%	80
303	5	पटना	रबी मक्का	ग्राम पंचायत	1,04,533	1.00%	80
304	5	पटना	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
305	5	पटना	चना	जिला	79,020	0.50%	80
306	5	पटना	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80
307	5	पटना	अरहर	जिला	80,890	0.50%	80
308	5	पटना	आलू	जिला	1,21,030	0.50%	80
309	5	पटना	टमाटर	जिला	59,280	1.00%	80
310	5	पटना	बैंगन	जिला	59,280	1.00%	80
311	5	पटना	मिर्चाई	जिला	59,280	1.00%	80
312	5	पटना	प्याज	जिला	49,400	1.00%	80
313	5	रोहतास	गेहूँ	ग्राम पंचायत	89,352	0.60%	80
314	5	रोहतास	राई-सरसों	जिला	66,003	0.50%	80
315	5	रोहतास	चना	जिला	79,020	0.50%	80

क्र.	क्लस्टर	जिला	फसल	बीमा इकाई	बीमित राशि (₹/हे.)	वास्तविक प्रीमियम दर (%)	इंडेम्निटी स्तर (%)
316	5	रोहतास	मसूर	जिला	66,211	0.50%	80

परिशिष्ट–3

बटाईदार/किरायेदार (गैर–रैयत) कृषक हेतु स्व–घोषणा पत्र

मैं ..... पिता/पति ..... ग्राम ..

..... ग्राम पंचायत ..... प्रखण्ड .....

..... जिला ....., आधार संख्या .....

..... मोबाइल संख्या ....., घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्नांकित भूमि पर रबी 2026–27 मौसम में वास्तविक खेतिहर के रूप में बटाई/किराये पर खेती कर रहा/रही हूँ:–

क्र॰	मौजा/ग्राम	खाता सं॰	खेसरा/प्लॉट सं॰	रकबा (हे॰)	भू–धारी (रैयत) का नाम	बोयी गयी/ प्रस्तावित फसल
1						
2						
3						
4						
	कुल					

1. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त भूमि पर उक्त फसल का रबी 2026–27 मौसम हेतु किसी अन्य माध्यम अथवा व्यक्ति द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा नहीं कराया गया है।
2. मैं स्वीकार करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सत्य है। विवरण मिथ्या पाये जाने पर मेरा बीमा निरस्त माना जायेगा, जमा प्रीमियम जब्त हो जायेगा, कोई दावा देय नहीं होगा तथा मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

दिनांकः .....

कृषक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रतिहस्ताक्षर (किसान सलाहकार अथवा वार्ड सदस्य):

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त कृषक मेरी जानकारी में उक्त भूमि पर वास्तविक खेतिहर के रूप में खेती करते हैं।

हस्ताक्षरः ..... नामः ..... पदनामः ..... ग्राम पंचायत/वार्ड ..... मोबाइलः ..... मुहर (यदि उपलब्ध हो)